न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 205/2020–21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

मुना स्वांसी – विक्रेता
सुरज नायक – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
08.12.20	**आदेश**	

आवेदक मुना स्वांसी पिता सनिका स्वांसी ग्राम–दारला, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने सुरज नायक पिता फगनु नायक ग्राम–बजार टाँड तोरपा, थाना–तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
बिचना	262	22	262	0.18

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0078980472 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 807 दिनांक 01.12.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम डुटू स्वांसी वैगरह हैं। पंजी II के अनुसार रामनाथ स्वांसी के नाम भूमि का रकबा 5.12½ एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.62 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 7482.00(सात हजार चार सौ बिरासी)रू0 विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.50 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मुना स्वांसी पिता सनिका स्वांसी को सुरज नायक पिता फगनु नायक के साथ ग्राम बिचना के खाता सं0 22 खेसरा संख्या 262 कुल रकबा 0.18 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 7482.00(सात हजार चार सौ बिरासी)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

08/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

08/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।